न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंकित कुमार (आर.टी.एस) तहसीलदार रामगढ।

प्रार्थना पत्र सं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/24	27.05.2025	12.08.2025

उनवान

1. पप्पूराम पुत्र श्री मोतीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र जीवनसिंह
2. बब्लूराम
3. भगवान सिंह
4. रामलाल पुत्रान गिरधारी
5. रामजीत पुत्र कल्वाराम जातियान मीणा निवासियान ग्राम सैथली तह0 रामगढ जिला अलवर

.....असल अप्रार्थीगण

6. पांच्याराम
7. मोमबत्तीराम पुत्रान मोतीलाल
8. अनिल
9. अमर सिंह
10. दीपचन्द
11. बृजलाल
12. मंगलराम पुत्रान स्व. लीलाराम
13. प्यारली देवी पत्नि स्व. लीलाराम
14. शीला पुत्री स्व. लीलाराम
15. कमलेश
16. पूनम पुत्रियान बाबूलाल
17. राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल
18. सोहनी देवी पत्नि स्व. बाबूलाल
19. मांगीलाल
20. रोहताश पुत्रान स्व. हरिकिशन पोत्रान मोतीलाल
21. रेशम
22. कविता पुत्रीयान हरिकिशन पोत्रीयान मोतीलाल जातियान जाटव निवासीयान ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर राज.।

.....तरतीबी अप्रार्थीगण

(अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट.)

निर्णय दिनांक 12.08.2025

निर्णय

प्रकरण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय एक प्रार्थना पत्र पप्पूराम पुत्र श्री मोतीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर (राज.) जिला अलवर राज0 द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 901 रकबा 0.40हैक्ट0, ख.नं. 902 रकबा 0.41हैक्ट. कुल किता–2 कुल रकबा 0.81हैक्ट. वाके ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है, जो आराजी प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है । प्रार्थी जाति से जाटव है जो अनुसूचित जाति की सदस्य है और उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिस विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। और गत फसले प्रार्थी ने बोई व काटी है और आज भी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिस आराजी पर अप्रार्थीगण ने जबरन लठ के बल पर पूर्व मे कब्जा किया था जिस पर प्रार्थी ने गांव के मौजिज लोगों की सहायता से अप्रार्थीगण को बेदखल कर दिया था लेकिन अप्रार्थीगण हमेशा ही इस ताक मे थे कि प्रार्थी को उसकी आराजी से बेदखल कर जबरन अपना नाजायज कब्जा व अतिक्रमण व अतिचार कर ले। तथा तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 22 जो कि खातेदार हरिकिशन पुत्र मोतीलाल की जायज व कानूनी सन्ताने है और राजस्व रिकॉर्ड मे हरिकिशन की विरासत का इंतकाल नही खुला है जबकि तर0अप्रार्थीगण संख्या 19 लगायत 22 जो कि हरिकिशन के जीवनकाल से ही उक्त विवादित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अब दिनांक 27.03.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर जबरन लठ के बल पर व प्रार्थी जो कि सीधे साधे अनुसूचित जाति के लोग होने का नाजायज फायदा उठाकर कब्जा कर लिया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उलाहना दिया कि तुमने मेरी आराजी पर नाजायज कब्जा कैसे किया व अपनी आराजी से अतिक्रमण व अतिचार व कब्जा हटाने व बेदखल होने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ झगडा फसाद किया व जान से मारने को उतारू हो गये और ऐलानिया कहा कि इस आराजी पर हमने अपना कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को अब हम नही हटायेंगे तुम जाटव का इस खेती की जमीन से क्या काम यहां से भाग जाओं वरना तुम्हे जिन्दा नही छोंडेगे और प्रार्थी को धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है और प्रार्थी के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी गुजारे के लिए नही है अगर अप्रार्थीगण से अतिक्रमण को नही हटवाया गया तो प्रार्थी के व उसके परिवार के लोगों की भूखे मरने की नौबत आ पडेगी जबकि कानूनन अनुसूचित जाति की आराजी पर कोई स्वर्ण या अन्य जाति का व्यक्ति कब्जा नही कर सकता परंतु अप्रार्थीगण जो कि खूंखार किस्म के व्यक्ति है जिन्होने प्रार्थी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। उक्त आराजी वाके ग्राम सैंथली के क्षेत्राधिकार मे है व श्रवण योग्य है इत्याद इत्यादि।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे इस न्यायालय द्वारा भू.अ.नि. मिलकपुर एवं पटवारी सैंथली से नियमानुसार जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। दिनांक 08.05.2024 को भू.अ.नि. मिलकपुर एवं पटवारी हल्का सैंथली की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया कि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार ख.नं. 901, 902 अनिल कुमार, अमरसिंह, दीपचन्द, मंगलराम पुत्रान लीलाराम, पप्पूराम, मोमबत्तीराम, हरिकिशन पुत्रान मोतीलाल वगै. जाति जाटव सा. देह खातेदार मुताबिक खाता संख्या 323 दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपरोक्त खातेदारों का कब्जा

नही है। मौके पर बबलूराम पुत्र गिरधारी एवं रामजीत पुत्र कल्वाराम जाति मीणा सी सैंथली द्वारा कब्जाकाश्त की जा रही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस लेख किया गया। बाद नोटिस तामील उपरांत अप्रार्थीगण ना तो न्यायालय मे उपस्थित हुए एवं ना ही अपना कोई जवाब पेश किया । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजूराम सांवरिया व संजीव कुमार अरोडा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया।

प्रभात और अन्य बनाम कजोड और अन्य, 1996 आरआरडी 120 एवं अब्दुल गफार खान बनाम विधिक प्रतिनिधि आफ कंवरलाल, 1996 आरआरडी 153, पृष्ठ संख्या 156 के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत सुस्थापित किया है कि पक्षकारों के बीच किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व मे विचाराधीन भी हो, तो धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होगे और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध सरसरी जांच करके उन्हे बेदखल किया जा सकता है। तथा यदि किसी एससी के व्यक्ति को गैर–खातेदारी मे भू आवंटन हो गया है और उसको खातेदारी नही मिली हो तथा उसकी भूमि पर किसी अन्य अतिक्रमी ने कब्जा कर रखा है उस हालत मे भी यदि अतिक्रमण यदि सिद्ध हो जाए तो अतिक्रमी को धारा 183बी के तहत हटाया जा सकता है।

अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 पर विचार कर पत्रावली का अवलोनकन व मनन किया जाकर एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया। प्रार्थीया अनुसूचित जाति का व्यक्ति है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति जाटव दर्ज है। चूंकि प्रार्थी की जाति वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जाटव दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त आंराजी पर कब्जा होना प्रथम दृष्ट्या साबित पाया जाता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त दृष्टांत मे दी गई नजीर एवं पटवारी हल्का सैंथली की जांच रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 901 रकबा 0.40हैक्ट0, ख.नं. 902 रकबा 0.41हैक्ट. कुल किता–2 कुल रकबा 0.81हैक्ट. वाके ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि पर नियमानुसार कब्जा संभलाया जावे। अप्रार्थीगणों को बेदखल करने व प्रार्थी को कब्जा दिलाने हेतु भू0अ0निरीक्षक मिलकपुर व पटवारी हल्का सैंथली को अहकाम जारी कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को भूमि का कब्जा उसे सम्भलवाकर एक सप्ताह में पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखा जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार,
रामगढ (अलवर)